

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-204/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० इम्तयाजुल हक, चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अस्पताल, वैशाली, हाजीपुर का अध्ययन अवधि दिनांक-20.05.2016 से 19.06.2017 तक एव दिनांक-24.07.2020 से 28.07.2022 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

i.	दिनांक-20.05.2016 से 19.06.2017 तक कुल-396 (तीन सौ छियानवे) दिन	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में । (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-24.07.2020 से 28.07.2022 तक कुल-735 (सात सौ पैंतीस) दिन	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में । (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-204/2023- 970/2 पटना, दिनांक 11/5/2026
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, वैशाली/गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/डा० इम्तयाजुल हक, चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अस्पताल, वैशाली, हाजीपुर/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Waman 8/5/26
सरकार के उप सचिव